

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0 जयपुर

क्रमांक : राजहैल्थ/यूटीबी/2024/212

दिनांक 24/04/2024

आदेश

निदेशालय के पत्रांक 369 दिनांक 24.07.2023 एवं 392 दिनांक 04.08.2023 के अनुसरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में यूटीबी आधार पर नियमानुसार लगाये गये नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ले0टे0, सहायक रेडियोग्राफर एवं फार्मासिस्ट जिनकी सेवाएं दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो रही थी को निरन्तरता में दिनांक 30.09.2024 अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने, जो भी पहले हो तक अभिवृद्धि की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक : राजहैल्थ/यूटीबी/2024/212

दिनांक 24/04/2024

प्रतिलिपि –

1. निजी सहायक, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-3) राज0 जयपुर
3. जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन समस्त
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित को प्रेषित कर लेख है कि इस संदर्भ में की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
6. प्रभारी सर्वर रूम, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. आदेश/रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref
6751239

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :24-04-2024 11:23:33